ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0029013

Date of order of proceeding	***Order of proceeding with Signature of presiding officer*** ***श्रीमती प्रीति चौबे विरूद्ध कार्यपालन यंत्री, मप्रमक्षेविविकलि, विदिशा.***	***Signature of parties or pleaders where necessary***
26.10.13	आवेदिका की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र शर्मा उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री चन्द्रकुमार वलेचा, अधिवक्ता तथा श्री समीर शर्मा, कार्यपालन यंत्री उपस्थित । सुना गया । (2) अनावेदक की ओर से इस आशय की जानकारी दी गई कि 29,25,793/– रू. का स्टीमेट बनाया गया था । उक्त स्टीमेट में 4,64,706/– रू. उपभोक्ता ने सुपरवीजन एवं अन्य मद में जमा किए थे, उक्त स्टीमेट के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई थी । इसके बाद पुनः स्टीमेट बनाया गया था जो 19,95,520/– रू. का था । उक्त स्टीमेट के अनुसरण में सुपरवीजन चार्ज एवं अन्य मद के रूप में उपभोक्ता द्वारा 2,59,880/– रू. जमा किए गए हैं तथा उक्त स्टीमेट के अनुसार कार्य पूर्ण कर चुके हैं । (3) अनावेदक द्वारा दी गई यह जानकारी तथा फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व का वह स्टीमेट जिसके अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे, के संबंध में सुपरवीजन चार्ज के रूप में उपभोक्ता द्वारा जो रू. जमा किए गए थे उन्हें वापस प्राप्त करने का वह अधिकारी है, क्योंकि उक्त स्टीमेट के अनुसरण में कार्य नहीं किया गया था । फोरम का आदेश इस बिन्दु पर स्पष्ट नहीं है तथा आदेश को पढ़ने से भ्रम की स्थति पैदा होती है । (4) अतः आदेश दिया जाता है कि स्टीमेट 29,25,793/– के संबंध में उपभोक्ता द्वारा सुपरवीजन एवं अन्य मद के रूप में जो 4,64,706/– रू. जमा किए गए थे वह राशि उपभोक्ता को 2 माह के अन्दर वापस की जाए । यदि आदेश दिनांक से 2 माह के अन्दर उक्त राशि अनावेदक द्वारा वापस नहीं की जाती है तो उपभोक्ता उक्त राशि के संबंध में 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज वसूल पाने का अधिकारी है । (5) उपरोक्तानुसार मामले का अन्तिम निराकरण किया जाता है । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए । **विद्युत लोकपाल** **प्रतिलिपि :** 1. आवेदक की ओर प्रेषित । 2. अनावेदक की ओर प्रेषित । 3. फोरम की ओर प्रेषित । **विद्युत लोकपाल**	